न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
वादपत्र अन्तर्गत धाराः–88 आरटीए
प्रकरण संख्याः–03/2019

1. रमनदीप } पि0 चन्द्रभान जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील
2. अनिल } टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1. चन्द्रभान पुत्र सोहनलाल }जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील
2. कान्ता पत्नी चन्द्रभान } टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

उपस्थित–श्री रायसिह भाकर अधिवक्ता वादीगण
श्री सदीप कस्वां अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांक :– 08-08-2019

वादीगण रमनदीप आदि ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत घोषणा के तहत इस न्यायालय में पेश किया कि वादीगण के पिता, प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चकनं0 5 एनडीआर सी के खाता सं0 68/65 के प0न0 182/346 मु0 31 किलानं0 5/.253, प0न0 183/346 मु0 30 किलानं0 1,2,9,10,11,12/1.518, 19 ता 23/1.265, 24/.102 कुल 3.138 है0 व चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 146/127 में प0न0 178/368 मु0 21 किलानं0 12,13/.506, 14/.185, 20/.140, 21/2/.202, 22 ता 25/1.012 है0 कल 2.045 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

वादीगण व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है।प्रतिवादीगण के कोई पुत्री संतान नही है।वाद पत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी पैतृक सम्पति है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। वादीगण व प्रतिवादी के मध्य आपस में काफी अर्सा पूर्व घरू बटवारां हो गया था व घरू बटवारां में वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादीगण को बटवारा ब0हि0ब0 बांटकर दी थी व प्रतिवादी सं0 ने अपने पास अन्य आराजी वाकें चकनं0 12 डीबीएल के खाता सं0 58/76 में 4.755 है0 में से 1/5 हिस्सा भूमि अपने पास रखी है। वादीगण वादपत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी पर ब0हि0ब0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है व अपनी आराजी की रकम राज व नहरी आबियाना आदि जमा करवाते चले आ रहे है। लेकिन वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन नही होने से वादीगण के खातेदारी अधिकारें का हनन होता है इसलिए वादीगण वादपत्र की दफा 2 में वर्णित आराजी अपने नाम से ब0हि0ब0 अंकन करवाकर चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खातासं0 146/127 व चकनं0 5 एनडीआर सी के खाता सं0 68/65 मे से प्रतिवादी सं0 1 चन्द्रभान का नाम कलमजन करवाना चाहते है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी वादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में ब0हि0ब0 अंकन करवाकर खाता हाजा मे से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन करवाने का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण कतई इन्कार हो गये। बस यही विनाय दावा है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया।प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया।प्रतिवादीगण द्वारा अपना राजीनामा पेश किया जाकर निवेदन किया कि हम पक्षकारान का आपस मे राजीनामा हो गया है।हम पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। वादपत्र की दफा 2 मे

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी

Scanned by CamScanner

दर्ज आराजी जो कि पैतृक सम्पति है तथा वादपत्र की दफा 2 में दर्ज आराजी घरू बटवारां में वादीगण को ब0हि0ब0 दी हुई है जिस पर वादीगण ब0हि0ब0 काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है तथा मुझ प्रतिवादीयासं0 2 ने भी बटवारां में अपनी सहमति दी हुई है। इसलिए वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज आराजी वादीगण के नाम से ब0हि0ब0 राजस्व रिकार्ड में अंकन कर चकनं0 5 एनडीआर सी के खाता सं0 68/65 व चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खातासं0 146/127 मे से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाता है तो हम प्रतिवादीगण को कोई उज्र व एतराज नही है। हम पक्षकारान राजीनामा से सहमत है।राजीनामा के साथ पक्षकारान की आई.डी. की फोटोप्रतियॉ पेश की गई जो बाद तस्दीक राजीनामा शामिल मिसल किया गया।

वकील ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण आपस में एक ही परिवार के सदस्य है। वाद में राजीनामा पेश होने के कारण मुताबिक वाद स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। वादी के अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया गया कि वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है व वादपत्र की दफा 2 मे दर्ज भूमि पैतृक सम्पति है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद को स्वीकार किया गया है। वादी का वाद पूर्णतया साबित है। मुताबिक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वादी द्वारा साक्ष्य के रुप में अपना शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल मिसल किया गया।

बहस सुनी गई। प्रस्तुत दस्तावेजों जमाबन्दी का गहराई से अध्ययन किया गया। राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी प्रतिवादी सं0 1 के नाम से दर्ज है। पत्रावली में वादीगण द्वारा जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये उन दस्तावेजो के आधार पर पैतृक सम्पति होना साबित है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के वाद का कोई विरोध नही किया गया है व मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद मुताबिक राजीनामा व प्रस्तुत दस्तावेजात, सहमति के आधार पर वाद वादीगण साबित करने में सफल रहे है। वाद वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि चकनं0 5 एनडीआर सी के खाता सं0 68/65 के प0न0 182/346 मु0 31 किलानं0 5/.253, प0न0 183/346 मु0 30 किलानं0 1,2,9,10,11,12/1.519 ता 23/1.265, 24/.102 कुल 3.138 है0 व चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 146/127 में प0न0 178/368 मु0 21 किलानं0 12,13/.506, 14/.185, 20/.140, 21/2/.202, 22 ता 25/1.012 है0 कल 2.045 है0 आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 5 एनडीआर सी के खाता सं0 68/65 व चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खातासं0 146/127 मे से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारी–मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–08/2019

1. रमनदीप } पि0 चन्द्रभान जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील
2. अनिल } टिब्बी जिला हनुमानगढ। वादीगण

बनाम्

1. चन्द्रभान पुत्र सोहनलाल } जाति जाट निवासी 12 डीबीएल डबलीकंला तहसील
2. कान्ता पत्नी चन्द्रभान } टिब्बी जिला हनुमानगढ। प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री रायसिह भाकर वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संदीप कस्वां प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चकनं0 5 एनडीआर सी के खाता सं0 68/65 के प0न0 182/346 मु0 31 किलानं0 5/.253, प0न0 183/346 मु0 30 किलानं0 1,2,9,10,11,12/1.518, 19 ता 23/1.265, 24/.102 कुल 3.138 है0 व चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खाता सं0 146/127 में प0न0 178/368 मु0 21 किलानं0 12,13/.506, 14/.185, 20/.140, 21/2/.202, 22 ता 25/1.012 है0 कल 2.045 है0 आराजी के वादीगण को ब0हि0ब0 के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चकनं0 5 एनडीआर सी के खाता सं0 68/65 व चकनं0 8 एमजैड डबल्यू के खातासं0 146/127 मे से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 08.08.2019 को जारी किया गया।

(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner